संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक./4/शिकायत/सेल–5/राजगढ़/2018/1464 भोपाल,दिनांक08/08/2018

प्रति,

डॉ. अनुसूईया गवली,
तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
राजगढ़, मध्यप्रदेश।

द्वारा– **क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,भोपाल संभाग,भोपाल,मध्यप्रदेश।**

विषयः– विभागीय जांच विरूद्धः–**डॉ.अनुसुईया गवली,** तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजगढ़,मध्यप्रदेश।

–––––000–––––

आपको सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 (3) के अंतर्गत आपके विरूद्ध संलग्न आरोप पत्र में अंकित कदाचरण के लिए विभागीय जांच संस्थित किया जाना प्रस्तावित है। जिसका उल्लेख संलग्न आरोप पत्र में दिया गया है। अभीकथन जिस पर आरोप आधारित है, उनका विवरण संलग्न अभिकथन पत्र में दिये गये अनुसार है। अभिकथन पत्र के अभिलेखो की सूची तथा गवाहो की सूची जिन पर आरोप आधारित है, उनका विवरण संलग्न अभिकथन पत्र में दिये गये अनुसार है। अभिकथन पत्र के अभिलेखो की सूची तथा गवाहो की सूची जिनके आधार पर आरोप पत्र प्रस्तावित है, वे भी संलग्न है।

2) आपसे इस पत्र के द्वारा ये अपेक्षा की जाती है कि आप इस पत्र मिलने के 15 दिवस की अवधि में अपना प्रतिवाद उत्तर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजते हुये बतावे कि :–

(अ) क्या आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते है ?

(ब) यदि आप अपने बचाव पक्ष में किसी गवाह आदि का नाम देना चाहते है तो उन गवाहो की सूची पूर्ण पते सहित भेजे।

(स) यदि आप अपने बचाव पक्ष में किन्ही अभिलेखो को प्रस्तुत करना चाहते है तो उन अभिलेखो की सूची विस्तृत जानकारी के साथ प्रस्तुत करें।

(द) यदि आप आरोप पत्रादि के साथ संलग्न अभिलेखो का अथवा उससे संबंधित किसी अन्य दस्तावेज का अवलोकन करना चाहते है तो उन अभिलेखो की सूची विस्तृत जानकारी के साथ प्रस्तुत करें।

3) आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आपके बचाव पक्ष का लिखित उत्तर नियत समयावधि अर्थात 15 दिवस में क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,भोपाल संभाग,भोपाल के माध्यम से प्राप्त नही होता तो आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करने का निर्णय लिया जा सकेगा।

4) इस पत्र के प्राप्त होने की अभिस्वीकृति अविलंब भेजने की व्यवस्था करें।

संलग्नः–1 आरोप पत्र 2 अभिकथन पत्र 3 अभिलेखो की सूची 4 गवाहो की सूची।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित।

8.8.18
(विवेक श्रोत्रिय)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

निरन्तर.....2

पृ.क्रमांक.4/शिकायत/सेल.5/जिला–राजगढ़/2018/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

01. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल, मध्य प्रदेश।

02. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त, स्थानीय कार्यालय की ओर उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण के संदर्भ में प्रेषित्।

03. कलेक्टर, जिला **राजगढ़,** मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।

04. अतिरिक्त संचालक,वित्त,स्थानीय कार्यालय की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में उनके द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 27.06.2018 के संदर्भ में प्रेषित।

05. उप संचालक **विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल शाखा** स्थानीय कार्यालय ।

06. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, भोपाल ,मध्यप्रदेश की ओर जारी आरोप पत्रादि की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी आरोप पत्र डॉ.अनुसूईया गवली, (निलंबित) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजगढ़ को तामिल कराते हुये तामिली रिपोर्ट एवं उनसे प्रतिवाद उत्तर प्राप्त कर,प्राप्त प्रतिवाद उत्तर अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

07. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश।

08. संभागीय कोष एवं लेखा भोपाल संभाग,भोपाल,मध्यप्रदेश।

09. जिला कोषालय अधिकारी जिला राजगढ़,मध्यप्रदेश।

10. प्रभारी एम.आई.एस.सेल,स्थानीय कार्यालय की ओर जारी आरोप पत्रादि की प्रतिलिपि भेजकर लेख किया जाता है कि जारी आरोप पत्रादि विभाग की वेब साईट पर अपलोड़ करावें।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

निरन्तर.....3

आरोप पत्र

डॉ. अनुसुईया गवली, तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला राजगढ़ के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम, 14 (3) के अंतर्गत आरोपो का विवरण :–

आरोप कमांक01:–

यह कि आप कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला राजगढ़ में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दिनांक 17.07.2017 से पदस्थ थी के दौरान वित्तीय वर्ष 2018–19 में पूर्ण रूपेण सफाई के मद से विभिन्न प्रकार की सफाई सामग्री, औषधि एवं अन्य प्रकार की सामग्री, उपकरण आदि का कय किया गया एवं पूर्व वित्तीय वर्षो 2015–16 से 2017–18 का कुल रू 9854991 का व्यय किया गया। यह भी कि सफाई मद के वार्षिक मापदण्ड 2018–19 रू 3404736 अनुसार 15 प्रतिशत सफाई सामग्री वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु रू 444096 मात्र अनुमत्य थी, परंतु सीमा से परे जाकर उपरोक्तानुसार कुल रू 9854991 व्यय किया गया। जो कि सफाई मद में विभागीय मापदण्ड से अधिक एवं मद परिवर्तन कर वित्त वर्ष 2018–19 में व्यय कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की है।

आरोप कमांक 02:–

यह कि आप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर रहते हुए वित्त वर्ष 2018–19 में आरोप कमांक 01 में उल्लेखित व्यय हेतु जो लेखाशीर्ष निर्धारित था, उससे व्यय न करते हुये योजना कमांक 1473–0101–31–006 से मदों का परिवर्तन म0प्र0 कोष संहिता के सहायक नियम 121 के बिन्दु 4 का उल्लंघन करते हुए उक्त व्यय कर अनियमित रूप से भुगतान किया गया, जो कि शासकीय कोष से आहरण में गंभीर प्रकार की अनियमितता की श्रेणी में भी आता है।

आरोप कमांक 03:–

यह कि आपने संबंधित कार्यालय द्वारा इस सामग्रियों के कय में लोक निधि से व्यय के लिए आवश्यक शर्तो कमशः म0प्र0 वित्त संहिता भाग 1 के नियम 8 एवं व्यय में औचित्य, एप्लीकेशन ऑफ माईंड, एवं वित्तीय औचित्य के मानक सिद्वांतो के प्रकाश में म0प्र0 वित्त संहिता भाग 1 के नियम 9 एवं बिना आंकलन किए गए नियम 118 का पालन नहीं किया एवं लेखाशीर्षो के अनुशासन को भंग करते हुये अनियमित आहरण किया गया। म0प्र0 वित्त संहिता के अध्याय 7 के अंतर्गत नियम 121 के अंतर्गत भण्डार प्राप्ति पर समस्त सामग्री सत्यापन कर भण्डार में उपलब्ध होना चाहिए । कलेक्टर राजगढ के द्वारा की गई जॉच में स्पष्ट हुआ, कि विभिन्न प्रकार की सामग्री भण्डार पंजियों में अंकित की गई परंतु भौतिक सत्यापन में नहीं पाई गई, जो कि जॉलसाजी एवं गबन की श्रेणी में आकर हानि की श्रेणी है इस प्रकार म0प्र0 वित्त संहिता नियम 22 एवं 25 के अंतर्गत दंडनीय है एव साथ ही भण्डार की प्राप्ति, निर्गमन, भण्डार के लेखांकन संबंधी म0प्र0 वित्त संहिता नियम 122 एवं 135 का घोर उल्लंघन है।

.....4

आरोप कमांक 05:–

म0प्र0 शासन वित्त विभाग द्वारा स्वास्थ्य विभाग हेतु वित्तीय अधिकार पुस्तिका 1995 भाग 2 के बिन्दु 1 में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत सीएमएचओ को रू 20 लाख तक के उपकरण क्रय के अधिकार प्रत्योजित थे, आपके द्वारा प्रत्योजित वित्तीय अधिकारों का उल्लंघन करते हुये बिना किसी सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति लिए बगैर राशि रू0 2097960 का उपकरण क्रय किया गया ।

आरोप कमांक06:–

आरोप कमांक 01 में क्रय की गई सामग्री म0प्र0 भण्डार नियम 2015 के नियम 11 अनुसार ई–टेण्डरिंग संबंधी प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया एवं ऑफ लाईन ऑर्डर दिए गए।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

.....5

अभिकथन पत्र

डॉ. अनुसुईया गवली, तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला राजगढ़ के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम ,14 (3) के अंतर्गत आरोपो के समर्थन में कदाचारों का विवरण पत्रक :–

अभिकथन कमांक01:–

यह कि आप डॉ. अनुसुईया गवली, तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला राजगढ़ के पद पर दिनांक 17.07.2017 से पदस्थ थी ।

जॉच दल द्वारा अवगत कराया गया कि आपके द्वारा पूर्ण रूपेण सफाई के मद से विभिन्न प्रकार की सफाई सामग्री, औषधि एवं अन्य प्रकार की सामग्री, उपकरण आदि का कय किया जाकर कुल व्यय रू 9854991 का किया गया। यह भी कि इस मद में विभागीय मापदण्ड रू 3404736 ही अनुमत्य था आपने रू 6450255 का अधिक अनियमित व्यय किया साथ ही सफाई का मापदण्ड रू 3404736 अनुसार 15 प्रतिशत सफाई सामग्री रू 444096 मात्र अनुमत्य थी, इस सीमा से अधिक विभिन्न प्रकार की कोषालय 45/04.04.18 एवं 48/05.04.2018 वाऊचरों की प्रवृत्ति देखते हुये औषधियों/सामग्रियॉ एवं उपकरण पर कुल व्यय रू 9854991 की गई । जो कि वित्तीय अनियमितता है, विवरण निम्नानुसार है :–

वित्तीय वर्ष	मद का नाम जिससे राशि आहरित की गई।	औषधि मद (34–002) की आहरित की गई राशि	सामग्री मद (34–009) की आहरित की गई राशि	उपकरण (63–001) मद की आहरित की गई राशि	अन्य मद (51–000) अतर्गत आहरित की गई राशि
2015-16	1473-31-006	141372	20748	0	393750
2016-17	1473-31-006	0	2320802	679212	0
2017-18	1473-31-006	1029840	3081052	2116245	21600

अभिकथन कमांक 02 :–

जांच दल द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर रहते हुए वित्त वर्ष 2018–19 में आरोप कमांक 01 में उल्लेखित कय की गई सामग्रियों के लिए जो योजनावार लेखाशीर्ष निर्धारित था, उससे व्यय न करते हुये लेखाशीर्ष 1473–31–006 से उक्त सामग्री एवं उपकरण का कय कर भुगतान किया गया। परिशिष्ठ 3, 4 एवं 5

स0क0	भुगतान योग्य लेखाशीर्ष	परिवर्तित लेखाशीर्ष	प्रवृत्ति	कुल राशि	रिमार्क
01	34-002	31-006	दवाईयॉ	1174215	
02	34-009	31-006	सामग्री	4704824	
03	63-001	31-006	उपकरण	2231157	
04	51-000	31-006	चदर धुलाई	1448912	
05	NHM	31-006	पैथालॉजी सामग्री	248416	

.....6

अभिकथन कमांक 03 :–

जांच दल द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि संबंधित कार्यालय द्वारा इस सामग्री के कय में लोक निधि से व्यय के लिए आवश्यक शर्तो म0प्र0 वित्त संहिता भाग 1 का नियम 8 का पालन नहीं किया साथ ही औचित्य, एप्लीकेशन ऑफ माईंड, एवं वित्तीय औचित्य के मानक सिद्वांतो म0प्र0 वित्त संहिता भाग 1 का नियम 9 एवं इसी के साथ वित्तीय वर्ष 2018–19 में चालू वित्त वर्ष का मितव्यतता से होना था, जो कि नहीं किया जाकर म0प्र0 वित्त संहिता भाग 1 का नियम 118 को भंग किया गया । परिशिष्ठ 1 एवं 2 में संबंधित जॉच दल ने इस तथ्य को लेखांकित किया है इससे यह भी स्पष्ट है, कि इन नियमो का पालन आपने जानबूझकर नही किया एवं वित्त वर्ष 2018–19 प्रारंभ होते हुये उपरोक्त निर्देशों, संहितागत प्रावधानों, विभागीय मापदण्डों को भंग करते हुए गंभीर प्रकार की वित्तीय अनियमितता कारित की इसी के साथ आरोप कमांक 3 में अंकित निर्देशों के प्रकाश में भण्डारण पर नियंत्रण भी नहीं रखा एवं इसके फलस्वरूप शासकीय धन का अनियमितता पूर्वक व्यय किया गया ।

अभिकथन कमांक 04 :–

जांच दल द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि म0प्र0 कोष संहिता के सहायक नियम 283 जिसमें कि वास्तविक रूप से किए गए समस्त भारो को तुरंत निराकरण करते हुए अगले वर्ष हेतु न छोडे जाने का प्रावधान है परंतु आपने अभिकथन कमाक 01 की तालिका अनुसार पूर्व वर्षो के देयक का आहरण किया गया। यह भी कि म0प्र0कोष संहिता के सहायक नियम 290, 291 जिसमें कि आहरण संवितरण अधिकारियों को आहरण के संबंध में जिम्मेदारी दी गई है का निर्वहन करते तो ऐसी वित्तीय अनिमितता की स्थिति निर्मित नहीं होती अतः आपके द्वारा इन दायित्वों का संहितागत का पालन जानबूझ कर नहीं किया एवं रू 9854991 का अनियमित आहरण किया इसी के साथ प्रश्नाधीन आहरणों के संबंध में अनियमितताओं का वरिष्ठ कार्यालय को अवगत नहीं कराया जाना पाया गया। परिशिष्ठ 1 एवं 2

अभिकथन कमांक 05 :–

जांच दल द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि म0प्र0 शासन वित्त विभाग द्वारा स्वास्थ्य विभाग हेतु वित्तीय अधिकार पुस्तिका 1995 भाग 2 के बिन्दु 1 में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत सी एम एच ओ को रू 20 लाख तक के कय के अधिकार प्रत्योजित थे, आपके द्वारा प्रत्योजित वित्तीय अधिकारों का उल्लंघन करते हुये बिना किसी सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति लिए बगैर निम्नानुसार वाऊचरों की प्रवृत्ति देखते हुये कय किया गया जो कि एक वर्ष में वित्तीय अधिकारता से परे जाकर वित्तीय अनियमितता कारित की गई :– परिशिष्ठ 4 एवं 5

स0क0	आदेश कमांक एवं दिनांक	फर्म का नाम जिसको आदेश दिये गए	राशि
01	Order No. 2017/18/112 dt 02-01-2018	ग्लोबल मार्केटिंग	371280
02	Order No. 19936/dt 05-09-2017	ग्लोबल मार्केटिंग	168636
03	Order No. 2017-18/103/ dt 02-01-2018	मॉ गायत्री मेडिकोज	503860
04	Order No. 15/ dt 01-01-2018	विश्वास इलेक्ट्रीकल एवं जनरल स्टोर	17400
05	Invoice No. 2145 Dt 08-12-2017	विश्वास इलेक्ट्रीकल एवं जनरल स्टोर	34800
06	Invoice No. R/000527 dt 09-09-2017	ग्लोबल मार्केटिंग	601190
07	Invoice No. R/000528 dt 09-09-2017	ग्लोबल मार्केटिंग	400794

.....7

अभिकथन कमांक 06 :–

जांच दल द्वारा यह भी अवगत कराया गया है, कि आपके द्वारा आरोप कमांक 01 में कय की गई सामग्री म0प्र0 भण्डार नियम 2015 के नियम 11 अनुसार ई–टेण्डरिंग संबंधी प्रोटोकॉल एवं संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं के औषधि प्रकोष्ठ शाखा द्वारा जारी पत्र कमांक 169/औ0 प्रको0/2017 दिनांक 24.06.2017 में औषधि उपार्जन मार्गदर्शिका का पालन नहीं किया एवं ऑफ लाईन ऑर्डर दिए गए ।

इस प्रकार आप अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में असफल रहते हुये आपके द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम–3 के उप नियम एक के खण्ड (i) (ii) (iii) तथा भण्डार कय नियमों का उल्लघन करते हुए स्वयं को अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया हैं।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

.....8

अभिलेखो की सूची

डॉ. अनुसुईया गवली, तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला राजगढ़ के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम, 14 (3) के अंतर्गत आरोपो के संबंध में अभिलेखो की सूची :–

1 संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल द्वारा गठित जांच दल द्वारा की गई जांच का जांच प्रतिवेदन दिनांक 23.06.2018 । परिशिष्ट ''एक''

2 कार्यालय कलेक्टर द्वारा नामांकित जॉच समिति अध्यक्ष, एवं सदस्यों द्वारा संबंधित कार्यालय के भौतिक सत्यापन एवं जांच प्रतिवेदन पत्र कमांक जॉच/2018/5273 दिनांक 07.07.2018। परिशिष्ट ''दो''

3. कोषालय से आहरित राशि के समर्थन में कोषालय सर्वर से निकाला गया ऑकडा । परिशिष्ट ''तीन''

4. सीएमएचओ राजगढ की कैश बुक पेज 53 पर दर्ज वाउचर कमांक 6/48 राशि रू. 4087966 एवं वाउचर कमांक 7/45 राशि रू. 5767025 दिनांक 05.04.2018। परिशिष्ट ''चार''

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

गवाहो की सूची

डॉ. अनुसुईया गवली, तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला राजगढ़ के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम, 14 (3) के अंतर्गत आरोपो के संबंध में गवाहो की सूची :–

1 श्री प्रतीक नेताम, कनिष्ठ लेखाधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भोपाल।

2 श्री दिनेश सोलंकी, कनिष्ठ लेखाधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला उज्जैन।

3 श्री अमित तिवारी, कनिष्ठ लेखाधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जबलपुर।

4 श्री जितेन्द्र रोजड़े, कनिष्ठ लेखाधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सागर।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

परिशिष्ट-1

कार्यालय कलेक्टर जिला राजगढ (म0प्र0)

क्रमांक / जॉच / 2018 / 5273 — राजगढ दिनांक 07/07/18

प्रति,

डॉ.बी.एन. चौहान (संचालक)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

विषयः— मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजगढ द्वारा वर्ष 2018—19मे साफ—सफाई मद मे हुये असमानुपातिक व्यय की जॉच।

संदर्भः— आपका पत्र क्रमांक / 6 / बजट / 2210 / 2018—19 / 266 भोपाल दिनांक 27.06.2018 के तारतम्य मे।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्रानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजगढ द्वारा वर्ष 2018—19 मे हुई असमानुपातिक व्यय की जॉच कलेक्टर राजगढ के निर्देशानुसार मेरे अध्यक्षता मे की गई। जॉच दल का प्रतिवेदन आवश्यक सहपत्रो के सहित आगामी कार्यवाही हेतु आपकी ओर प्रेषित है।

संलग्नः— जॉच से संबंधित आवश्यक दस्तावेज / सहपत्र।

श्रीमति भव्या मित्तल
अपर कलेक्टर
जिला राजगढ (म0प्र0)

पृ0क्रमांक / जॉच / 2018 — राजगढ दिनांक ....

प्रतिलिपिः—

1. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाये संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र. भोपाल।
2. अतिरिक्त संचालक (वित्त) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.भोपाल।

अपर कलेक्टर
जिला राजगढ (म0प्र0)

कार्यालय कलेक्टर जिला राजगढ (म0प्र0)

क्रमांक/जॉच/2018 राजगढ दिनांक .....

प्रति,

डॉ.बी.एन. चौहान (संचालक)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

विषयः— मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजगढ द्वारा वर्ष 2018—19मे साफ—सफाई मद मे हुये असमानुपातिक व्यय की जॉच।

संदर्भः— आपका पत्र कमांक/6/बजट/2210/2018—19/266 भोपाल दिनांक 27.06.2018 के तारतम्य मे।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्रानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजगढ द्वारा वर्ष 2018—19 मे हुई असमानुपातिक व्यय की जॉच कलेक्टर राजगढ के निर्देशानुसार मेरे अध्यक्षता मे की गई। जॉच दल का प्रतिवेदन आवश्यक सहपत्रो के सहित आगामी कार्यवाही हेतु आपकी ओर प्रेषित है।

संलग्नः— जॉच से संबंधित आवश्यक दस्तावेज/सहपत्र।

श्रीमति भव्या मित्तल
अपर कलेक्टर
जिला राजगढ (म0प्र0)

पृ0क्रमांक/जॉच/2018 /5274 राजगढ दिनांक 07/07/18

प्रतिलिपिः—

1. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाये संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र. भोपाल।
2. अतिरिक्त संचालक (वित्त) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.भोपाल।

अपर कलेक्टर
जिला राजगढ (म0प्र0)

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजगढ द्वारा आहरित राशि रू. 98.54 लाख के क्रय के संबंध मे जॉच प्रतिवेदन

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजगढ द्वारा साफ–सफाई मद मे वार्षिक मापदण्डो से अधिक व्यय किया जाकर अत्यधिक असमानुपातिक व्यय किये जाने से प्राप्त सामग्री का भौतिक सत्यापन, प्राप्ति, निर्गमन, सामग्रियो की खरीदी प्रकिया मे भंडार कय नियमों का पालन नही करने के सबंध मे संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश भोपाल के आदेश कमांक/8/बजट /2210/2018–19 /266–267/भोपाल दिनांक 27.06.2018 द्वारा जिला कलेक्टर राजगढ द्वारा नामांकित प्रतिनिधि की अध्यक्षता मे दल गठित किया गया जिसके सदस्य निम्नानुसार है:–

क्र.	दल के सदस्यों के नाम	पद
01	श्रीमति भव्या मित्तल	अपर कलेक्टर एवं प्रतिनिधि कलेक्टर कार्यालय कलेक्टर जिला राजगढ
02	श्री प्रतीक कुमार नेताम	कनिष्ठ लेखाधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भोपाल
03	श्री आई.एम.सक्सेना	सहायक साख्यिकी अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भोपाल

उक्त दल मे श्री आई0एम0सक्सेना, सहायक साख्यिकी अधिकारी की तबियत खराब होने के कारण श्री जी.के.राय, लेखापाल कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भोपाल को कार्य हेतु ड्यिूटी लगाई गई है। निर्देशों के अनुकम मे दिनांक 29.06.2018 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजगढ मे (औषधि भंडार) स्टॉक पंजी, इण्डेन रजिस्टर, प्राप्ति एवं निर्गम पंजी से देयको के आधार पर कय की गई सामग्रियो का भौतिक सत्यापन किया गया जिसमे पाया गया कि कय की गई सामग्रियॉ स्टॉक रजिस्टर मे प्रविष्ट होकर अधीनस्थ संस्थाओं मे कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजगढ द्वारा मांग के अनुसार वितरित की गई, परंतु स्टॉक पंजी के परीक्षण पर पाया गया कि स्टॉक पंजी पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजगढ द्वारा अपने हस्ताक्षर कर उक्त पंजी का सत्यापन नही किया जा रहा है। जबकि कार्यालय प्रमुख को किसी भी सामग्री की खरीदी के तुरंत पश्चात् स्टॉक प्रविष्टि करते हुये पंजी का सत्यापन अपनी पद मुद्रा सहित हस्ताक्षर से किया जाना चाहिये तथा निर्धारित गठित समिति से सामग्रियो का भौतिक सत्यापन करवाया जाना चाहिये जो स्टॉक पंजी के परीक्षण पर अपेक्षित पाया गया है।

भौतिक सत्यापन के फलस्वरूप जिन सामग्रियों मे अंतर पाया गया है उनका विवरण निम्नानुसार है:–

क्र	सामग्री का नाम	स्टॉक पंजी अनुसार मात्रा	भौतिक सत्यापन मे पाई गई मात्रा	अंतर	रिमार्क
01	मेट्रेश	97	05	92	
02	एक्स–रे हेंगर	36	15	21	
03	एक्स–रे केसैट (12X12)	8 नग	1	7	
04	एक्स–रे केसैट (10X12)	9 नग	10	(+1)	
05	एक्स–रे स्कीन (8X10)	7 नग	5	2	
06	अंडर पेड	2029	740	1309	
07	बेड शीट	1236	851	955	
08	एल.एस.सी.एस.सेट	04	02	02	
09	सर्जिकल सूट	1430	650	780	

यहॉ उल्लेखनीय है कि 70 मैट्रेस सिविल अस्पताल सारंगपुर को दिए गये है जबकि इसकी प्रविष्टी स्टॉफ पंजी मे नही किया गया है, साथ ही स्टॉक पंजी मे दिनांक 13.06.2018 को शेष मैट्रेस 37 थे, जिसके विरूद्ध 50 मैट्रेस निर्गमित बताया गया है, जो कि कुल स्टॉक से अत्यधिक सामग्री इश्यु करने को इंगित करता है।

वर्ष 2018–19 मे हिमोग्लोबिन कलर स्केल किट की स्टॉक पंजी मे प्रविष्टी नही की गई है कुल 65 बॉक्स मे एक बॉक्स इश्यु की गई है जिसके फलस्वरूप 64 बॉक्स शेष होने चाहिये जब कि 49 बॉक्स ही शेष है।

उक्त के अतिरिक्त क्रय किये गये सामग्रियो की प्रविष्टियों स्टॉक पंजी मे किया जा रहा है एवं निर्गम पंजी मे प्रविष्टि भी पाया गया है, शेष सामग्री के विवरण अंकित है एवं खपत हुये सामग्रियों को निरंक अंकित की गई है।

1– कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में निम्न विवरण अनुसार राशि रू 98.54 लाख का क्रय बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से किया जाकर एजेन्सी/फर्मो को आहरण कर भुगतान किया जो प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकारो के प्रतिकूल है। जबकि मध्यप्रदेश कोषालय संहिता भाग–1 नियम–283 में यह भी प्रावधान है, कि किसी वित्तीय वर्ष के उद्भुत दायित्वो का निराकरण उसी वित्तीय वर्ष मे किया जाना चाहिए कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजगढ द्वारा बजट की प्रत्याशा में राशि रू 9854991/– राशि रू (अन्ठानवे लाख चौवन हजार नौ इन्कनायवे मात्रा) का अनियमित क्रय किये जाने से वित्तीय वर्ष के लम्बित दायित्वो का भुगतान आगामी वित्तीय वर्ष मे किया गया जब कि लम्बित देयको का भुगतान उसी वित्तीय वर्ष में क्रय की प्रकृति को देखते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर कार्यालय द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए जिसकी स्थिति निम्नानुसार है :–

वर्ष	मद का नाम जिससे राशि आहरित की गइ	राशि
2015-16	1473-31-006	608625
2016-17	1473-31-006	1935732
2017-18	1473-31-006	7310634
Total	0	9854991

2–कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवंस्वास्थ्य अधिकारी जिला राजगढ द्वारा जांच दल के समक्ष मांग–पत्र, वितरण पंजी, स्टॉक पंजी, क्रय समिति द्वारा दिए गए अनुमोदन आदेश, निविदा प्रक्रिया (वर्ष–2015–16 एवं 2016–17) तथा प्राप्त सामग्रियो का भौतिक सत्यापन (वर्ष–2015–16 एवं 2016–17) समिति द्वारा नहीं करवाया गया है तथा स्टॉक पंजी के परीक्षण पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजगढ द्वारा स्टॉक पंजी का सत्यापन नहीं किया जाता है जबकि स्टॉक पंजी में सामग्री की प्रविष्टि होने के तत्काल कार्यालय प्रमुख द्वारा पंजी का सत्यापन किया जाना चाहिए जो अपेक्षित रहा है।

3– कार्यालय द्वारा आहरित राशि के देयको के परीक्षण पर यह पाया गया कि कार्यालय द्वारा जो राशि मद क्रमांक–1473–31–006 से आहरित की गई वह राशि मद क्रमांक–34–009 एवं अन्य मदो से आहरित की जाना चाहिए कार्यालय मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजगढ द्वारा मद परिवर्तन कर मद क्रमांक–34–009 एव अन्य मदो के देयको का आहरण कर भुगतान किया गया जिनका विवरण निम्नानुसार है।

राशि जिस मद से आहरित की जाना चाहिए	कार्यालय द्वारा मद परिवर्तित किया गया	देयक क्रमांक / आदेश तिथि	एजेन्सी का बिल क्रमांक/दिनांक	राशि
34-009	1473-31-006	45/04.4.18	G-000008/01.12.17	109740
34-009	1473-31-006	45/04.4.18	G-0000023/18.1.18	35640
34-002	1473-31-006	45/04.4.18	002014/17.3.16	141372
34-002	1473-31-006	45/04.4.18	0000022/18.1.18	517440
34-009	1473-31-006	45/04.4.18	02/29.6.17	73225
63-001	1473-31-006	45/04.4.18	005105/12.1.18	371280
34-009	1473-31-006	45/04.4.18	R-001503/12.1.18	504000
63-001	1473-31-006	45/04.4.18	R-000613/20.9.17	168636

34-009	1473-31-006	45/04.4.18	R-0000082/02.12.17	122030
34-009	1473-31-006	45/04.4.18	R-0000131/06.1.18	258720
NHM	1473-31-006	45/04.4.18	R-0000132/06.1.18	248416
63-001	1473-31-006	45/04.4.18	R-0000130/06.1.18	503807
34-009	1473-31-006	45/04.4.18	78/02.12.17	173600
34-009	1473-31-006	45/04.4.18	2322/.5.1.18	17400
34-009	1473-31-006	45/04.4.18	2145/06.12.17	34800
34-009	1473-31-006	45/04.4.18	745/15.6.17	18285
34-009	1473-31-006	45/04.4.18	2321/05.1.18	14500
34-009	1473-31-006	45/04.4.18	RP-018/02.8.16	114912
34-009	1473-31-006	45/04.4.18	341/1410.15	20748
34-009	1473-31-006	45/04.4.18	RP-0081/02.8.16	564300
34-009	1473-31-006	45/04.4.18	RP-00196/02.8.16	170100
34-009	1473-31-006	45/04.4.18	73/01.12.17	512400
34-009	1473-31-006	45/04.4.18	R00529/09.9.17	400794
34-009	1473-31-006	45/04.4.18	R00527/09.9.17	601190
34-009	1473-31-006	45/04.4.18	0000515/09.9.17	620137
34-009	1473-31-006	45/04.4.18	G000018/17.1.18	1054920
34-009	1473-31-006	45/04.4.18	10/29.6.17	997500
34-009	1473-31-006	45/04.4.18	000516/09.9.17	413425

उपरोक्त देयको के अतिरिक्त नवयुवक बुनकर सहकारी समिति मर्यादित शाजापुर से देयक क्रमांक–101 से 109 तक के देयको से बेड–शीट क्रय की गई है।जिनकी कुल राशि रू 5,95,875/–है। एवं उक्त राशि का व्यय मद क्रमांक–34–009 के स्थान पर मद क्रमांक–31–006 से किया गया है।

भंडार क्रय नियम–2015 प्रावधानो के अनुसार राशि रू 5.00 लाख से अधिक की सामग्री का क्रय ई–टेण्डरिंग के माध्यम से किया जाना चाहिए जो कार्यालय द्वारा प्रक्रियाओ का पालन किया जाना अपेक्षित रहा है।

4– म.प्र. वित संहिता भाग–1 एवं भाग–2 तथा म.प्र. बुक ऑफ फायनेशियल पावर्स-- 1995 के भाग–1 एवं 2 के अन्तर्गत शासन द्वारा विभागीय अधिकारियों को विशेष रूप से उनकी आवश्यकताओ को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय अधिकार प्रत्ययोजित किए गए है। म.प्र. शासन वित विभाग के परिपत्र क्रमांक--एफ–3–4/2004 नियम/चार/ भोपाल दिनांक 29.12.2006 द्वारा यह स्पष्ट निर्देश प्रसारित किए गए है, कि जिस अधिकारी को जो अधिकार प्रदत्त है।उनका प्रयोग वह अधिकारी कर सकते है। प्रकरण परीक्षण पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजगढ द्वारा प्रत्ययोजित अधिकारो की सीमा से अधिक व्यय किया जाकर बिना सक्षम स्वीकृति प्राप्त किए तथा टुकडो--टुकडो में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से बचने के लिये पृथक--पृथक दिनांको द्वारा कार्यादेश जारी किया जाकर म.प्र. वित संहिता नियम--119 का उल्लघंन है।

5– मेसर्स मॉ गायत्री मेडीकोज के देयक क्रमांक–10 दिनांक 30 जून–2017 से राशि रू 9,50,000/– के बेबी–सूट क्रय किये गये है।संस्था द्वार देयक में राशि रू 47,500/–का वेट कर सहित राशि रू 9,97,500/–सम्बन्धित फर्म को आहरण कर भुगतान किया गया है। जब कि कार्यालय

द्वारा वेट–कर की राशि का भुगतान चालान के माध्यम से शासन के खाते में राशि जमा किये जाना का प्रावधान है।

06– कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजगढ द्वारा प्रस्तुत किये गये देयको के परीक्षण करने पर पाया गया कि कार्यालय द्वारा किसी भी संस्था/फर्म से आयकर का भुगतान नहीं काटा गया है जबकि आयकर नियमों के प्रावधानो के अनुसार आय कर कटोत्रा किया जाना चाहिए था।

07– म.प्र. वित्तीय संहिता के नियम–118 के अनुसार वित्तीय वर्ष की समग्र आवश्यकता का अनुमान लगाने के पश्चात उपलब्ध बजट आंबटन अनुसार सामग्री क्रय करने की कार्यवाही की जाना चाहिए तथा म.प्र. वित्तीय संहिता के नियम–8 एवं 9 एवंअन्य समस्त सुसंगत नियमों का पालन किया जाना चाहिए बिना बजट के कोई भी लायबिल्टी सृजित नहीं की जाना चाहिए उक्त नियमों के प्रतिकूल क्रय करने पर म.प्र. कोषालय संहिता के नियम–290 एवं 291 जिसमें आहरण एवं संवितरण अधिकारी की जवाबदारी निर्धारित की गईहै।

8– संचालनालय स्वास्थ्य मध्यप्रदेश भोपाल के परिपत्र क्रमांक/6/बजट/2210/2014/03/भोपाल दिनांक 11.4.2014 एवं पत्र क्रमांक/ अप्रशा/सेल–3/1105 /भोपाल दिनांक 27.7.2015 द्वारा सम्बन्धित मदो में आहरण के लिए वित्तीय अधिकारो की पुस्तिका भाग–1 एवं वित्तीय अधिकारो का प्रत्ययोजन भाग–2 में वित्तीय अधिकारो का प्रत्ययोजन जिला स्तर पर प्रावधानित किए गए है।दवाऐं/केमिकल/ड्रेसिंग मटेरियल के क्रय हेतु खर्च की मंजूरी दी गई है जिसमें कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजगढ को दर अनुबंध के अनुसार राशि रू 20.00 लाख, स्थानीय क्रय राशि रू 10.00 लाख एवं आपात एवं केजुल्टी क्रय हेतु राशि रू 25000/– की सीमा निर्धारित की गई है।तथा आवश्यकता से अधिक कार्य की स्थिति में दायित्वो के आहरण के लिए पूर्ण औचित्य सहित प्रस्ताव भेजकर सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करना चाहिए जो प्रकरण में अपेक्षित रहा है।

अतः जांच दल के समक्ष कार्यालय द्वारा जो अभिलेख प्रस्तुत किए उसके आधार पर जांच प्रतिवेदन तैयार किया जाकर आपकी और सादर प्रेषित है।

निष्कर्षः– कार्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये विभिन्न दस्तावेजों (स्टॉक पंजी प्राप्ति एवं निर्गम पंजी) के भौतिक सत्यापन के फलस्वरूप क्रय की सामग्री कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजगढ के स्टोर मे प्राप्त हुये है एवं स्टॉक रजिस्टर मे प्रविष्टि भी है, परंतु कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजगढ द्वारा प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकार की सीमा से अधिक व्यय किया जा कर मदों मे परिवर्तन कर आहरण किया गया है एवं मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम 2015 का अक्षरशः पालन होना नही पाया गया है। जिन सामग्रीयो में विभिन्नता है वह प्रथम पृष्ठ पर अंकित है।

जॉच दल द्वारा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजगढ द्वारा प्रदाय किये गये दस्तावेजों की सूची निम्नानुसार है–

1. फाईल कमांक –1 वर्ष 2015–16 , 2016–17, 2017–18 के निविदा, विज्ञप्ति, कय समिति एव कय आदेश की छायाप्रति।
2. फाईल कमांक–2 वर्ष 2018–19 मे हुये भुगतान के बिल एवं स्टॉक पंजी की छायाप्रति।
3. फाईल कमांक–3 वर्ष 2018–19 के केसबुक की छायाप्रति एवं कार्यरत् अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जानकारी।

श्रीमति भव्या मित्तल	प्रतीक कुमार नेताम	जी.के.राय
अपर कलेक्टर	कनिष्ठ लेखाधिकारी	लेखापाल
जिला राजगढ	कार्या0 सी.एम.एच.ओ. भोपाल	कार्या0 सी.एम.एच.ओ. भोपाल

परिशिष्ट-2 (1)

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजगढ द्वारा साफ–सफाई मद–31–006 अन्तर्गत अनियमित आहरण किये जाने का जांच प्रतिवेदन

संचालनालय स्वास्थ्य मध्यप्रदेश भोपाल के आदेश क्रमांक/6/बजट–2210/2018–19/228/भोपाल दिनांक 21 जून–2018 द्वारा साफ–सफाई मद–1473–31–006 में निर्धारित वार्षिक मापदण्ड राशि से अत्यधिक व्यय करने वाले प्राधिकारियो की जॉच कराने हेतु संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं भोपाल के अधीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालयो में पदस्थ कनिष्ठ लेखाधिकारियों का जॉच दल गठित किया गया तथा दिनांक 22–23 जून–2018 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजगढ को सम्पूर्ण दस्तावेज क्रय आदेश, टेण्डर डाक्यूमेंट, स्टॉक रजिस्टर, स्टॉक बेलेंस, एवं उपस्थिति पंजी आदि लेकर उपस्थित होने हेतु निर्देश प्रदान किये गये जिसके अनुक्रम में जॉच दल द्वारा दिनांक 23.6.2018 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजगढ के व्ययित अभिलेखो का क्रय आदेश, टेण्डर डाक्यूमेंट, स्टॉक रजिस्टर, स्टॉक बेलेंस, एवं उपस्थिति पंजी का देयको से परीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि–

1– कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में निम्न विवरण अनुसार राशि रू 98.54 लाख का क्रय बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से किया जाकर एजेन्सी/फर्मो को आहरण कर भुगतान किया जो प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकारो के प्रतिकूल है। जबकि मध्यप्रदेश कोषालय संहिता भाग–1 नियम–283 में यह भी प्रावधान है, कि किसी वित्तीय वर्ष के उद्भुत दायित्वो का निराकरण उसी वित्तीय वर्ष में किया जाना चाहिए कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजगढ द्वारा बजट की प्रत्याशा में राशि रू 9854991/– अक्षरी राशि रू अन्ठानवे लाख चौवन हजार नौ इन्कनायवे मात्रा) का अनियमित क्रय किये जाने से वित्तीय वर्ष के लम्बित दायित्वो का भुगतान आगामी वित्तीय वर्ष मे किया गया जबकि लम्बित देयको का भुगतान उसी वित्तीय वर्ष में क्रय की प्रकृति को देखते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर कार्यालय द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए जिसकी स्थिति निम्नानुसार है :–

वर्ष	मद का नाम जिससे राशि आहरित की गइ	राशि
2015-16	1473-31-006	608625
2016-17	1473-31-006	1935732
2017-18	1473-31-006	7310634
Total	0	9854991 ✓

2— कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजगढ द्वारा जांच दल के समक्ष मांग–पत्र, वितरण पंजी, क्रय समिति द्वारा दिए गए अनुमोदन आदेश, निविदा प्रक्रिया (वर्ष–2015–16 एवं 2016–17) तथा प्राप्त सामग्रियो का भौतिक सत्यापन (वर्ष–2015–16 एवं 2016–17) समिति द्वारा नहीं करवाया गया है। तथा स्टॉक पंजी के परीक्षण पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजगढ द्वारा स्टॉक पंजी का सत्यापन नहीं किया जाता है। जबकि स्टॉक पंजी में सामग्री की प्रविष्टि होने के तत्काल कार्यालय प्रमुख द्वारा पंजी का सत्यापन किया जाना चाहिए जो अपेक्षित रहा है।

3— कार्यालय द्वारा आहरित राशि के देयको के परीक्षण पर यह पाया गया कि कार्यालय द्वारा जो राशि मद क्रमांक–1473–31–006 से आहरित की गई वह राशि मद क्रमांक–34–009 एवं अन्य मदो से आहरित की जाना चाहिए कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजगढ द्वारा मद परिवर्तन कर मद क्रमांक–34–009 एवं अन्य मदो के देयको का आहरण कर भुगतान किया गया जिनका विवरण निम्नानुसार है।

राशि जिस मद से आहरित की जाना चाहिए	कार्यालय द्वारा मद परिवर्तित किया गया	देयक क्रमांक / आदेश तिथि	एजेन्सी का बिल क्रमांक/दिनांक	राशि
34-009	1473-31-006	45/04.4.18	G-000008/01.12.17	109740
34-009	1473-31-006	45/04.4.18	G-0000023/18.1.18	35640
34-002	1473-31-006	45/04.4.18	002014/17.3.16	141372
34-002	1473-31-006	45/04.4.18	0000022/18.1.18	517440
34-009	1473-31-006	45/04.4.18	02/29.6.17	73225
63-001	1473-31-006	45/04.4.18	005105/12.1.18	371280
34-009	1473-31-006	45/04.4.18	R-001503/12.1.18	504000
63-001	1473-31-006	45/04.4.18	R-000613/20.9.17	168636
34-009	1473-31-006	45/04.4.18	R-0000082/02.12.17	122030
34-009	1473-31-006	45/04.4.18	R-0000131/06.1.18	258720
NHM	1473-31-006	45/04.4.18	R-0000132/06.1.18	248416
63-001	1473-31-006	45/04.4.18	R-0000130/06.1.18	503807
34-009	1473-31-006	45/04.4.18	78/02.12.17	173600
34-009	1473-31-006	45/04.4.18	2322/.5.1.18	17400
34-009	1473-31-006	45/04.4.18	2145/08.12.17	34800
34-009	1473-31-006	45/04.4.18	745/15.6.17	18285
34-009	1473-31-006	45/04.4.18	2321/05.1.18	14500
34-009	1473-31-006	45/04.4.18	RP-018/02.8.16	114912
34-009	1473-31-006	45/04.4.18	341/1410.15	20748
34-009	1473-31-006	45/04.4.18	RP-0081/02.8.16	564300
34-009	1473-31-006	45/04.4.18	RP-00188/02.8.16	170100
34-009	1473-31-006	45/04.4.18	73/01.12.17	512400
34-009	1473-31-006	48/05.4.18	R00528/09.9.17	400794
34-009	1473-31-006	48/05.4.18	R00527/09.9.17	601190
34-009	1473-31-006	48/05.4.18	0000515/09.9.17	620137
34-009	1473-31-006	48/05.4.18	G000018/17.1.18	1054920
34-009	1473-31-006	48/05.4.18	10/29.6.17	997500
			000516/ 09.9.17	413425

T → 8783317/-

उपरोक्त देयको के अतिरिक्त नवयुवक बुनकर सहकारी समिति मर्यादित शाजापुर से देयक क्रमांक–101 से 109 तक के देयको से बेड–शीट क्रय की गई है। जिनकी कुल राशि राशि रू 595875/– है। एवं उक्त राशि का व्यय मद क्रमांक–34–009 के स्थान पर मद क्रमांक–31–006 से किया गया है।

भंडार क्रय नियम–2015 प्रावधानो के अनुसार राशि रू 5.00 लाख से अधिक की सामग्री का क्रय ई–टेण्डरिंग के माध्यम से किया जाना चाहिए जो कार्यालय द्वारा प्रक्रियाओ का पालन किया जाना अपेक्षित रहा है।

4– म.प्र. वित्त संहिता भाग–1 एवं भाग–2 तथा म.प्र. बुक ऑफ फायनेंशियल पावर्स–1995 के भाग–1 एवं 2 के अन्तर्गत शासन द्वारा विभागीय अधिकारियों को विशेष रूप से उनकी आवश्यकताओ को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय अधिकार प्रत्ययोजित किए गए है। म.प्र. शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक–एफ–3–4/2004 नियम/चार/ भोपाल दिनांक 29.12.2006 द्वारा यह स्पष्ट निर्देश प्रसारित किए गए है, कि जिस अधिकारी को जो अधिकार प्रदत्त है। उनका प्रयोग वह अधिकारी कर सकते है। प्रकरण परीक्षण पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजगढ द्वारा प्रत्ययोजित अधिकारो की सीमा से अधिक व्यय किया जाकर बिना सक्षम स्वीकृति प्राप्त किए तथा टुकडो–टुकडो में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से बचने के लिये पृथक–पृथक दिनांको द्वारा कार्यादेश जारी किया जाकर म.प्र. वित्त संहिता नियम–119 का उल्लघंन है।

5– मेसर्स मॉ गायत्री मेडीकोज के देयक क्रमांक–10 दिनांक 30 जून–2017 से राशि रू 950000/– के बेबी–सूट क्रय किये गये है। संस्था द्वार देयक में राशि रू 47500/– का वेट कर सहित राशि रू 997500/– सम्बन्धित फर्म को आहरण कर भुगतान किया गया है। जबकि कार्यालय द्वारा वेट–कर की राशि का भुगतान चालान के माध्यम से शासन के खाते में राशि जमा किये जाना का प्रावधान है।

06– कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजगढ द्वारा प्रस्तुत किये गये देयको के परीक्षण करने पर पाया गया कि कार्यालय द्वारा किसी भी संस्था/फर्म से आयकर का भुगतान नहीं काटा गया है। जबकि आयकर नियमों के प्रावधानो के अनुसार आयकर कटोत्रा किया जाना चाहिए था।

07– म.प्र. वित्तीय संहिता के नियम–118 के अनुसार वित्तीय वर्ष की समग्र आवश्यकता का अनुमान लगानें के पश्चात उपलब्ध बजट आंबटन अनुसार सामग्री क्रय करने की कार्यवाही की जाना चाहिए तथा म.प्र. वित्तीय संहिता के नियम–8 एवं 9 एवं अन्य समस्त सुसंगत नियमों का पालन किया जाना चाहिए बिना बजट के कोई भी लायबिल्टी सर्जित नहीं की जाना चाहिए उक्त नियमों के प्रतिकूल क्रय करने पर म.प्र. कोषालय संहिता के नियम–290 एवं 291 जिसमें आहरण एवं संवितरण अधिकारी की जवाबदारी निर्धारित की गई है।

8– संचालनालय स्वास्थ्य मध्यप्रदेश भोपाल के परिपत्र क्रमांक/6/बजट/2210/2014/03/भोपाल दिनांक 11.4.2014 एवं पत्र क्रमांक/ अप्रशा/सेल–3/1105 /भोपाल दिनांक 27.7.2015 द्वारा सम्बन्धित मदो में आहरण के लिए वित्तीय अधिकारो की पुस्तिका भाग–1 एवं वित्तीय अधिकारो का प्रत्ययोजन भाग–2 में वित्तीय अधिकारो का प्रत्ययोजन जिला स्तर पर प्रावधानित किए गए है। दवाऐं/केमिकल/ड्रेसिंग मटेरियल के क्रय हेतु खर्च की मंजूरी दी गई है जिसमें कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजगढ को दर अनुबंध के अनुसार राशि रू 20.00 लाख, स्थानीय क्रय राशि रू 10.00 लाख एवं आपात एवं केजुल्टी क्रय हेतु राशि रू 25000/– की सीमा निर्धारित की गई है। तथा आवश्यकता से अधिक कार्य की स्थिति में दायित्वो के आहरण के लिए पूर्ण औचित्य सहित प्रस्ताव भेजकर सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करना चाहिए जो प्रकरण में अपेक्षित रहा है।

अतः जांच दल के समक्ष कार्यालय द्वारा जो अभिलेख प्रस्तुत किए उसके आधार पर जांच प्रतिवेदन तैयार किया जाकर आपकी और सादर प्रेषित है।

अमित तिवारी	दिनेश सोलंकी	जितेन्द्र मिथोरिया	जितेन्द्र रोजडे	प्रतीक कुमार नेताम
क.ले. अधि.	क.ले. अधि.	क.ले. अधि.	क.ले. अधि.	क.ले. अधि.

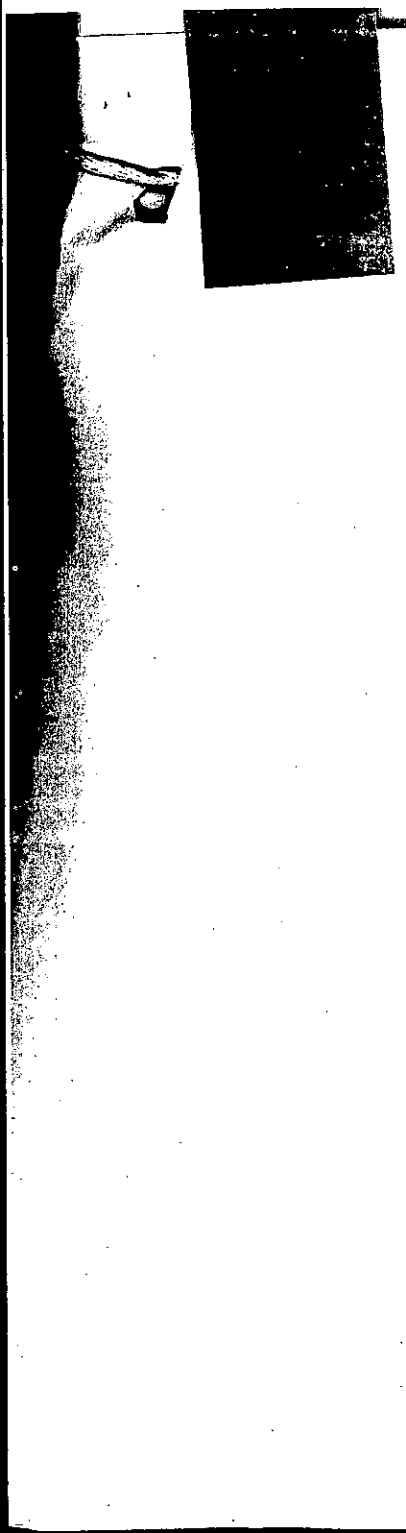

परिशिष्ट - 3

DDO Wise Budget Allotment & Expenditure
Financial Year : 2018-2019 till month :06

Mon Jul 02 15:12:49 IST 2018

Bco Code	Ddo Code	DDO Name	DN	Major	Subm ajor	Minor	Scheme	Segme nt	Obje ct	Detail ed	Allotment To Ddo	Expenditure By Ddo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1704	3001704001	C.M. & H.O., RAJGARH	19	2210	01	110	5719	8888	31	006	282981	0
1704	3001704001	C.M. & H.O., RAJGARH	19	2210	01	196	1473	0101	31	006	0	9854991
			Total								282981	9854991

48 5/4/18 Pvno 42 5.4.18

(100)

...LY VOUCHER CONTINGENT BILL — MPTC 34

पा.क्रमांक 4

Bill No.- ______ Dated.- ______	BTB No.- ______
D.D.O. Code-	
For use in the Office of head of the department and	Month- 4 /2018

Detailed Bill Contingent charge of the Office of the CM&HO Rajgarh

Head of Account
DDO CODE- 3001707001

D.D.O. Code- 3001704001

1. Grant No.
2. Plan./Non Plan/Other (P/N/O)
3. Major Head
4. Sub Major Head
5. Minor Head 1473-31-006
6. Scheme code
7. Segment Code
8. Object Code
9. Budgeted /Non Budgeted

19-2210-01-196-1473-31-006

Decription of charge with number and date of authority for all charge requiring special sanction

S. No.	Name of the Firm	Bill No.	Bill Date	NetAmount	Amount Rs. P.
1	GIOBAL Marketing	R000526	9/Sep/17	400794	
2	GIOBAL Marketing	R000527	9/Sep/17	601190	
3	Navkar health care	G0000018	17/Jan/17	1054920	
4	Navkar health care	516	9/Sep/17	413425	4087966.00
5	Navkar health care	515	9/Sep/17	620137	
6	M/s Maa gayantri Medicos	10	30/Jun/17	997500	
7					
8					
				GST Tax:---	0.00
				Carried Over:----	4087966.00

Not

1 *Detailed classification should be recorded prominently in RED INK in manuscript or by*
2 *Frasures absolutely for bidden incorrect interact entries must be cancelled neady*

मु.चि. एवं स्वा. अधिकारी जिला राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.

PAID& CANCELED
Cash Book Page 53
VR No 6/48
Paid Rs 4087966=00
Dated 5/4/18

34-009 — क्र.54

3540654

17/07/17 के ... प.व ...

(101)

भुगतान सूची वेडर

S.No.	Name Of The Firm	V.No.	Rs
1	Glowal Marketing	87767	1001984
2	Navkar Health care	88063	2088482
3	M/s Maa Gaytri Medicose	87774	997500

Chief Medical & Health Officer
Dist Rajgarh

VOUCHER CONTINGE[redacted]

Dated.- MPTC 34

...e Office of head of the department [redacted] BTB No.-

...n the below subsidiary rule 308 Month-

District	Detailed Bill Contingent charge of the Office of the CM&HO Rajgarh
Rajgarh	Head of Account DDO CODE- 3001704001 1. Grant No. 2. Plan./Non Plan/Other (P/N/O) NP 3. Major Head 4. Sub Major Head 5. Minor Head 6. Scheme code 7. Segment Code 8. Object Code 9. Budgeted /Non Budgeted

D.D.O. Code- 3001704001

PAID& CANCELED

Cash Book Page 53

VR No 5/45

Paid Rs

Dated 5/4/18

Decription of charge with number and date of authority for all charge requiring special sanction

Number of Sub-Vouche S. No.	Name of the Firm	Bill No.	Bill Date	Net Amount	VAT	Amount Rs. P.
1	Navkar Health Care	G0000008	1-Dec-17	109740	0	109740
2	Navkar Health Care	G0000023	18-Jan-18	35616	0	35616
3	Navkar Health Care	002014	17-Mar-16	141372	0	141372
4	Navkar Health Care	G0000022	18-Jan-18	517440	0	517440
5	Mahakal Pharma	2	29-Jun-17	73325	0	73325
6	Global Marketing	R/001505	12-Jan-18	371280	0	371280
7	Global Marketing	R/001503	12-Jan-18	504000	0	504000
8	Global Marketing	R/000613	20-Sep-17	168636	0	168636
9	M/s Maa Gayatri Medicose	R0000082	2-Dec-17	122080	0	122080
10	M/s Maa Gayatri Medicose	R0000131	6-Jan-18	258720	0	258720
11	M/s Maa Gayatri Medicose	R0000132	6-Jan-18	248416	0	248416
12	M/s Maa Gayatri Medicose	R0000130	6-Jan-18	503860	0	503860
13	M/s Maa Gayatri Medicose	R0000078	2-Dec-17	173600	0	173600
14	Neehanshu Pharma	032	9-Oct-15	107835	0	107835
15	Neehanshu Pharma	033	9-Oct-15	107835	0	107835
16	Neehanshu Pharma	034	9-Oct-15	107835	0	107835
	Neehanshu Pharma	035	9-Oct-15	70245	0	70245
	Akash Medical Agencies	389	16-Mar-17	9900	0	9900
	Navin Cloth Stores	157	6-Sep-17	21600	0	21600
	Navyuvak Bunkar Sahkari Samiti Maryadit	101	24-Jun-17	71505	0	71505
	Navyuvak Bunkar Sahkari Samiti Maryadit	102	24-Jun-17	71505	0	71505
	Navyuvak Bunkar Sahkari Samiti Maryadit	103	24-Jun-17	71505	0	71505
	Navyuvak Bunkar Sahkari Samiti Maryadit	104	24-Jun-17	71505	0	71505
	Navyuvak Bunkar Sahkari Samiti Maryadit	105	24-Jun-17	71505	0	71505
	Navyuvak Bunkar Sahkari Samiti Maryadit	106	24-Jun-17	71505	0	71505
	Navyuvak Bunkar Sahkari Samiti Maryadit	107	24-Jun-17	71505	0	71505

SRK Ansari